



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102023-249535
CG-DL-E-18102023-249535

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4394]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 18, 2023/आश्विन 26, 1945

No. 4394]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2023/ASVINA 26, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2023

सं. 36/2023

विषय: चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध को तारीख को 31 अक्टूबर, 2023 से आगे बढ़ाना।

का.आ. 4568(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार अधिसूचना संख्या 40/2015-2020 दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 के आंशिक संशोधन में, एतद्वारा एचएस कोड 1701 14 90 और 17019990 के तहत चीनी (खांड, सफेद चीनी, परिष्कृत चीनी और जैविक चीनी) के निर्यात पर 'प्रतिबंध' की तारीख 31 अक्टूबर, 2023 से आगे अगले आदेशों तक बढ़ाती है।

2. यह प्रतिबंध संबंधित सार्वजनिक सूचनाओं में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीएक्सएल और टीआरक्यू कोटा के तहत ईयू और यूएसए को निर्यात की जाने वाली चीनी पर लागू नहीं है।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव:

चीनी (खांड, सफेद चीनी, परिष्कृत चीनी और जैविक चीनी) के निर्यात पर प्रतिबंध 31.10.2023 से आगे अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

[फा. सं. 01/91/180/879/एम08/ईसी/खण्ड 8/ई-20749]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th October, 2023

No. 36/2023**Subject:** - Extension of date for restriction on export of sugar beyond 31st October, 2023.

S.O. 4568(E).—The Central Government, in exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, in partial modification of Notification No. 40/2015-2020 dated 28th October, 2022, hereby extends the date of 'Restriction' on export of Sugar (Raw Sugar, White Sugar, Refined Sugar and Organic sugar) under HS Codes 1701 14 90 and 17019990 beyond 31st October, 2023 till further orders.

2. This restriction is not applicable to Sugar being exported to EU and USA under CXL and TRQ quota as per prescribed procedure in the respective Public Notices.

3. Effect of this Notification:

Restriction on export of Sugar (Raw Sugar, White Sugar, Refined Sugar and Organic sugar) is extended beyond 31.10.2023 till further. Other conditions will remain unchanged.

[F. No. 01/91/180/879/AM08/EC/Vol. 8/E-20749]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl Secy.